कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2140 /FP/UK/ROAD/20189/2016 :देहरादून:दिनांकः 18 फरवरी, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **Diversion of 5.964 ha of forest land for construction of Sarkot-Devsari Motor Road in favour of PWD within the jurisdiction of Badrinath Forest Division, District Chamoli, Uttarakhand.**
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/20189/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2018/एफ0सी0/1026, दिनांक 21.07.2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 2917/12–1 दिनांक 04–02–2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में प्रस्तावित 11.928 है0 ग्राम–घेस सिविल सोयम भूमि का म्यूटेशन राजस्व विभाग द्वारा किसी अन्य परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग के नाम दर्ज की जा चुकी है, जिस कारण राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमि चयनित करने हेतु लिखा गया। उक्त के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के अन्तर्गत ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी के मल्लाकालीफाट–।। क0नं0–7 में 11.928 है0 क्षेत्र वनीकरण हेतु चयनित किया गया है। संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, प्राक्कलन, डिजिटल जियो रेफिरेन्स मानचित्र सी0डी0 सहित एवं राजस्व विभाग का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–1)

   प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.928 है0 मल्लाकालीफाट–।। क0नं0–7 आरक्षित वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 36,56,301.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 50,39,580.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–2)
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 86,95,881.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। Online Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–3)
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा Strip Plantation किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,
(डी0जे0के0 शर्मा) 17/2/20
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2140 / FP/UK/ROAD/20189/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग/केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली, चमोली।

(डी0जे0के0 शर्मा) 17/2/20
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी